FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

1. **District (ज़िला):** State Vigilance & Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Ambala **Year (वर्ष):** 2026

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0014 **Date (दिनांक):** 29/07/2026 16:36

2.

S.No. (क्र.सं.)	**Acts (अधिनियम)**	**Sections (धारा(एँ))**
1	IPC 1860	120-B
2	IPC 1860	384
3	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(2)
4	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)(b)
5	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7
6	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7A

HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 **Day (दिन):** Sunday **Date from (दिनांक से):** 06/11/2022 **Date To (दिनांक तक):** 06/11/2022

Time Period (समय अवधि): Pahar 1 **Time From (समय से):** 00:00 hrs **Time To (समय तक):** 00:00 hrs

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई): **Date (दिनांक):** 29/07/2026 **Time (समय):** 16:36 hrs

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 015 **Time (समय):** 29/07/2026 16:36 hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** SOUTH, 50 Km (s) **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): कुरुक्षेत्र,कुरुक्षेत्र

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): चरणजीत कुमार

(b) Father's Name (पिताका नाम): स्व. मनजीत कुमार

(c)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1966 **(d) Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Occupation (व्यवसाय):**

(h) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	**Address Type (पता का प्रकार)**	**Address (पता)**
1	Present Address	100/7, न्यू कालोनी रेलवे रोड, कुरुक्षेत्रKURUKSHETRA, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	100/7, न्यू कालोनी रेलवे रोड, कुरुक्षेत्रKURUKSHETRA, HARYANA, INDIA

(i) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):**

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

S. No. (क्र.सं.)	**Name (नाम)**	**Alias (उपनाम)**	**Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)**
1	प्रवीन कुमार		

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Sub Type (उप प्रकार)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोरी हुई सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

श्रीमान जी, नकल तहरीर निम्न प्रकार से है-

सेवा में,

थाना प्रबन्धक, राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बाला मण्डल, अम्बाला ।

श्रीमान जी,

निवेदन है कि दिनांक 17.11.2025 को एक शिकायत क्रमांक 22617/शिकायत /352/अम्बाला/2025 दिनांक 17.11.2025 और डायरी क्रमांक 4470 दिनांक 19.11.2025 तथा उसके उपरान्त दोबारा से सामान आरोपो वाली यही शिकायत क्रमांक 25724/शिकायत/352/अम्बाला/2025 दिनांक 23.12.2025 और डायरी क्रमांक 4778 दिनांक 24.12.2025, चरणजीत कुमार पुत्र स्व. श्री मनजीत कुमार निवासी मकान न. 100/7 न्यू कालोनी रेलवे रोड कुरुक्षेत्र व मंयक मक्कर पुत्र स्व. श्री जगजीत कुमार निवासी मकान न. 100/7 न्यू कालोनी रेलवे रोड कुरुक्षेत्र द्वारा कार्यालय अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, राज्य सतर्कता एवम भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा पचंकूला मे दी गई थी। जिसका विवरण इस प्रकार है कि, सेवा में, पुलिस महानिदेशक, हरियाणा, पुलिस मुख्यालय, सैक्टर-6, पंचकूला, प्रतिलिपि- 1. मुख्यमन्त्री, हरियाणा 2. पुलिस अधीक्षक, कुरुक्षेत्र 3. उपायुक्त कुरुक्षेत्र 4. निदेशक, सतर्कता ब्यूरो, हरियाणा 5. राज्य सतर्कता ब्यूरो, हरियाणा 6. केन्द्रीय सतर्कता आयोग (CVC), नई दिल्ली 7. खाद्य, नागरिक

आपूर्ति एवम उपभोक्ता मामले विभाग के मन्त्री, हरियाणा विषय- भ्रष्टाचार, उत्पीडन, अधिकारो के दुरुपयोग, आपराधिक साजिश एवम एफ.पी.एस. लाईसैन्स के अवैध निलम्बन से उत्पन्न परिस्थितियो के कारण स्वर्गीय श्री जगजीत कुमार (एफ.पी.एस.डीलर, थानेसर) की मृत्यु सम्बन्धी एफ.आई.आर. दर्ज कर स्वतन्त्र जांच कराने हेतू शिकायत । प्रेषक- (1) श्री चरणजीत कुमार- एफ.पी.एस, लाईसैन्सधारी, कृष्णा नगर, गामरी, थानेसर, कुरुक्षेत्र (2) श्री मंयक मक्कर- स्व. श्री जगजीत कुमार के पुत्र एवम कानूनी वारिश, 100/7, न्यू मोबाईल 99911-78777 तत्थो का क्रमवार विवरण-

1. स्व. श्री जगजीत कुमार लगभग 40 वर्षो से एफ.पी.एस. डीलर थे और उनका रिकार्ड पूरी तरह निष्कंलक था। वर्ष 2022 में निरीक्षक प्रवीण कुमार ने विभागीय कार्यो में अनुचित दबाव डालना शुरु किया और स्पष्ट रुप से कहा कि, "यदि हर माह 5000/- रुपये नही दिये गये तो खराब गुणवत्ता का राशन भेजा जायेगा तथा डिपो रदद कर दिया जायेगा। उसने प्रतिमाह दो डिपो से 5000/- रुपये की अवैध वसूली तय की थी।

2. 06 नवम्बर 2022 को इसी दबाव में 5000/- रुपये की वसूली की गई, जिसकी पूरी घटना CCTV मे दर्ज है। इस पर 28 नवम्बर 2022 को शिकायत CM Grievance ID No. CMOFF/N/2022/131527 दर्ज की गई थी। उस समय एक तथाकथित "निपटारा" ब्लैक पेपर पर अधिकारियो के भय और दबाव में कराया गया था। परन्तु यह किसी भी प्रकार से उन्हे भविष्य के अपराधो से सरंक्षण नही देता और यह दबाव एवम वसूली की श्रृंखला आगे भी जारी रही।

3. वर्ष 2024-2025 में ए.एफ.एस.ओ. रामपाल, निरीक्षक अंकुर और निरीक्षक सुनील पाटिल को उसी क्षेत्र मे नियुक्ति किया गया। इन अधिकारियो ने प्रवीण कुमार के निर्देश व सरंक्षण मे रिश्वत मांगना, धमकाना और लाईसैन्स रदद करने की धमकी देना शुरु कर दिया।

4. 28 अप्रैल 2025 को जब स्व. जगजीत कुमार गंभीर रुप से बीमार थे, निरीक्षक सुनील पाटिल, प्रवीण कुमार और अंकुर के इशारे पर दुकान पर आए और 3000 रिश्वत मांगी । उन्होने कहा, प्रवीण और अकुंर ने बताया है, पैसे दो, तो रिपोर्ट ठीक लिख दूगां । मंयक मक्कर नें इसका विरोध किया और निरीक्षक अंकुर मो. न. 98620-00001 को व्हाटससैप काल द्वारा इसकी सूचना दी । व्हाटससैप काल, टावर लोकेशन एवम मोबाईल डेटा बैकअप सुरक्षित है और जांच अधिकारी को प्रस्तुत किया जा सकते है।

5. मई 2025 में ए.एफ.एस.ओ. रामपाल, निरीक्षक सुनील पाटिल, प्रवीण कुमार और अंकुर नें न्यू कालोनी, थानेसर में राशन कार्डधारको के घर-घर जाकर बिना किसी आदेश या जन शिकायत के सर्वे

किया, जिसमे कोई भी अनियमितता नही मिली। स्थानीय पार्षदो एवम उपभोक्ताओ ने भी इसकी पुष्टि की ।

6. इसके पश्चात 20 मई 2025 को ए.एफ.एस.ओ रामपाल स्वंय डी.एफ.एस.सी. टीम के साथ श्री चरणजीत कुमार के डिपो पर निरीक्षण हेतू पहूचे। जहां स्थानीय नगरपालिका पार्षद श्री मुकुन्द सुधा (MC न्यु कालोनी थानेसर) भी उपस्थित थे। उक्त निरीक्षण में सभी अभिलेख राशन वितरण एवम स्टाक पुर्णत सही पाया गया । यह तथ्य स्वंय AFSO और DFSC की मौजदूगी तथा एक निर्वाचित नगर पार्षद की उपस्थिति से प्रमाणित है। जिससे यह जांच निष्पक्ष सार्वजनिक गवाहो के समक्ष हुई थी । इस प्रकार यह स्थापित होता है कि विभागीय अधिकारियो द्वारा बाद में लगाया गया कोई भी आरोप या कार्यवाही प्रतिशोध और मनमानी पर अधारित है न कि तथ्यो पर ।

7. 26 जून 2025 को एम.आई.टी हास्पिटल की रिपोर्ट (दिनांक 25 जून 2025 समय 5.13 PM) से स्व. श्री जगजीत कुमार के लीवर फेल्योर की पुष्टि के बावजूद ए.एफ.एस.ओ. रामपाल बिना किसी लिखित आदेश या जन शिकायत के दुकान-कम-निवास स्थान पर पहूचे । उन्होने से स्वंय को चण्डीगढ से जांच हेतू आया" बताते हुए अपमानजनक लहजे मे कहा- "आज मै आया तो बीमार हो गए, मै तो डिपो रदद करने आया हू" परिवार द्वारा मेडिकल रिपोर्ट दिखाने और स्थगन का अनुरोध करने पर भी उन्होने असंवेदनशील रवैया अपनाया । यह पूरी घटना CCTV व मोबाईल रिकार्डिग मे दर्ज है, जो यह स्पष्ट प्रमाणित करती है कि यह निरीक्षण दुर्भावनापूर्ण और मानसिक उत्पीडन के उदेशय से किया गया था।

8. उसी दिन 26 जून 2025 को स्व. श्री जगजीत कुमार ने अपनी पत्नी श्रीमति सुनिता रानी और भाई श्री चरणजीत कुमार की उपस्थिति मे अपनी अन्तिम लिखित घोषणा दी, जो अपनी पत्नी के हस्त लिखित शब्दो में और उनके स्वंय के हस्ताक्षर से प्रमाणित है। उन्होने ने स्पष्ट रुप से लिखा कि, "मुझे पी.जी.आई. से जवाब मिल चुका है कि मै अधिक समय तक जीवित नही रहूगा, परन्तु इसके बावजूद विभागीय अधिकारी- ए.एफ.एस.ओ. रामपाल, निरीक्षक प्रवीण कुमार, अंकुर और सुनिल पाटिल- मुझे और मेरे परिवार को लगातार मानसिक रुप से प्रताडित कर रहे है। वे बार- बार यह संकेत देते है कि यदि हर माह 3000/- " व्यवस्था शुल्क" दिया जाए तो कोई जांच या कार्यवाही नही होगी, अन्यथा लाईसैन्स रदद कर दिया जायेगा। इनके इस भ्रष्ट आचरण और धमकियो ने मुझे मानसिक व शारीरिक रुप से तोड दिया है यदि मेरे साथ कुछ होता है तो इसके लिए यही अधिकारी जिम्मेदार होगे, यह घोषणा स्वेच्छा पूर्ण मानसिक सन्तुलन और स्पष्ट चेतना में की गई थी तथा इसका हस्तलिखित व

विडियो प्रमाण सुरक्षित है।

9. 26 जुन 2025 को मुख्यमन्त्री ग्रेवेंस सैल, आयुक्त (खाद्य एवम आपुर्ति) और उपायुक्त कुरुक्षेत्र को शिकायत भेजी गई, फिर भी 02 जुलाई 2025 को बिना सुनवाई के एफ.पी.एस. लाईसैन्स निलम्बित कर दिया गया । यह कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्वातो का उल्लंघन है।

10. लगातार मानसिक तनाव, अपमान और भ्रष्टाचारजन्य उत्पीडन के कारण स्व. जगजीत कुमार की स्थिति बिगडती गई और 04 जुलाई 2025 को उनका निधन हो गया । यधपि चिकित्सीय कारण लिवर फेल्योर बताया गया, परन्तु लगातार तनाव और दबाव नें उनकी स्थिति को अत्यधिक बिगाडा, जिसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध अधिकारियो के आचरण से है।

11. 28 जून 2025 को मंयक मक्कर ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत भेजी । आयोग मे शिकायत विभागीय निष्क्रियता और निरन्तर उत्पीडन के कारण बाध्य होकर की गई थी। 12 अगस्त 2025 को ए.एफ.एस.ओ रामपाल सैन्टर पीपली लाडवा रोड पर जांच के लिए आए और बाद मे मामला एस.डी.एम कार्यालय पंहुचा, लेकिन कोई समाधान नही हुआ।

12. 01 सितम्बर 2025 को एडवोकेट विशाल चौधरी के माध्यम से सम्बन्धित अधिकारियो को विधिक नोटिस भेजा गया, जिसकी डाक रशीद और वैटसैप डिलिवरी प्रूफ संलग्न है। परन्तु किसी अधिकारी ने कोई उत्तर नही दिया, जो दर्शाता है कि आरोपियो को संरक्षण प्राप्त है।

मुख्य आरोपी अधिकारी:- 1. ए.एफ.एस.ओ रामपाल 2. निरीक्षक प्रवीण कुमार (मुख्य साजिशकर्ता) 3. निरीक्षक अंकुर 4. निरीक्षक सुनील पाटिल

प्रार्थना:-

1.उपरोक्त अधिकारियो के विरुध भ्रष्टाचार, उत्पीडन, धमकी और आपराधिक साजिश के आरोप मे एफ.आई.आर. दर्ज की जाए ।

1. जांच राज्य सतर्कता ब्यूरो या डी.एस.पी. स्तर के स्वतन्त्र अधिकारी से कराई जाए।

1. 2022 की शिकायत (CMOFF/N/2022/131527) को वर्तमान घटनाओं के साथ जोडकर पुन: खोला जाए ।

1. 06.11.2022, 20.05.2025, 26.06.2025 एवम मानवाधिकार आयोग शिकायत (28.06.2025) से सम्बन्धित सभी सी.सी.टी.वी. फुटेज, काल रिकार्ड, घोषणा पत्र व दस्तावेज जब्त किए जाए ।

1. मृतक परिवार को न्याय, सम्मान और उचित मुआवजा प्रदान किया जाए ।

स्थान: कुरुक्षेत्र, दिनांक 31/10/2025 (हस्ताक्षरित) श्री चरणजीत कुमार- शिकायतकर्ता, श्री मंयक

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

मक्कर –शिकायतकर्ता,

यह शिकायत कार्यालय अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, राज्य सतर्कता एवम भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा पंचकूला के पत्र क्रमांक 22617/शिकायत /352/अम्बाला/2025 दिनांक 17.11.2025 और कार्यालय पुलिस अधीक्षक, राज्य सतर्कता एवम भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बाला मण्डल, अम्बाला के डायरी क्रमांक 4470 दिनांक 19.11.2025 अनुसार तथा उसके उपरान्त दोबारा से सामान आरोपो वाली यही शिकायत कार्यालय पुलिस महानिदेशक, राज्य सतर्कता एवम भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा, पंचकूला के पत्र क्रमांक 25724/शिकायत/352/अम्बाला/2025 दिनांक 23.12.2025 और कार्यालय पुलिस अधीक्षक, राज्य सतर्कता एवम भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बाला मण्डल, अम्बाला के डायरी क्रमांक 4778 दिनांक 24.12.2025 अनुसार निरीक्षक प्रवीण कुमार, राज्य सतर्कता एवम भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बाला मण्डल, अम्बाला को पडताल हेतु प्राप्त हुई थी। उक्त शिकायत की सत्यापन रिपोर्ट निरीक्षक प्रवीण कुमार, राज्य सतर्कता एवम भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उपकेन्द्र कुरुक्षेत्र द्वारा पत्र क्रमांक 135/रा.स.एवम भ्र.नि.ब्यूरो (कु.) दिनांक 27.02.2026 के अनुसार तैयार करके कार्यालय पुलिस अधीक्षक, राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बाला मण्डल, अम्बाला को भेजी गई थी जिस पर कार्यालय पुलिस अधीक्षक, राज्य सतर्कता एवम भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बाला मण्डल, अम्बाला के द्वारा अपनी सत्यापन रिपोर्ट पत्र क्रमांक 821/रा.स.एवम भ्र.नि.ब्यू. अम्बाला दिनांक 19.03.2026 के अनुसार श्रीमान पुलिस महानिदेशक, राज्य सतर्कता एवम भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा, पंचकूला को भेजी गई थी। जिस पर श्रीमान पुलिस महानिदेशक, राज्य सतर्कता एवम भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा, पंचकूला कार्यालय के पत्र क्रमांक 7923/Comp/352/2025 dated 24.04.2026 अनुसार अंकित किया गया है कि "On perusal of the report, it has been observed that the public servant is seen taking bribe in the video CD given by the complainant. This act of the concerned public servant is ex-facie criminal and is not covered in the protection under section 17-A of the P.C. Act . Regarding the other public servants mentioned in the complain, action can be taken after getting the permission under section 17-A P.C. Act, for investigating their role in the case/FIR which may be registered against the public servant seen in the video, C.D. accepting bribe, as per verification report. The report received vide your office memo under reference is returned herewith for further necessary action". जिसके उपरान्त कार्यालय पुलिस अधीक्षक, राज्य सतर्कता एवम भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बाला मण्डल, अम्बाला के आदेश क्रमांक 1224-33/रा.स.एवम भ्र.नि.ब्यूरो (अम्बाला) दिनांक 07.05.2026 के अनुसार उक्त शिकायत की जांच मय दस्तावेज मार्क शुद्वा मन निरीक्षक को प्राप्त हुए है। जो शिकायत के सार व संलग्न दस्तावेजो, व्याख्यान शिकायतकर्ता तथा शिकायतकर्ता द्वारा पेश की गई CD से

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

निरीक्षक प्रवीण कुमार, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवम उपभोक्ता मामले विभाग कुरुक्षेत्र ने शिकायतकर्ता चरणजीत उपरोक्त पर उनके दो राशन डिपो पर खराब गुणवता का राशन भेजकर, राशन डिपो रदद करने का भय दिखाकर 5000/- रुपये रिश्वत ली है। जिसका यह कृत्य Ex-facie criminal in nature का होना पाया जाने पर निरीक्षक प्रवीण कुमार, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवम उपभोक्ता मामले विभाग कुरुक्षेत्र के विरुध धारा 7, 7A, 13(1)b r/w 13(2) PC Act 1988 384, 120 B IPC के अन्तर्गत अभियोग अंकित करने के लिए तहरीर तैयार की गई और अनुसन्धान के दौरान किसी अन्य की सलिप्तता पाई जाने पर, नियमानुसार कार्यवाही की जाए । शिकायत उपरोक्त मे आरोपी निरीक्षक प्रवीण कुमार, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवम उपभोक्ता मामले विभाग कुरुक्षेत्र के विरुद्व प्रारुप तहरीर तैयार करके, अनुमोदन हेतु कार्यालय पुलिस अधीक्षक, राज्य सतर्कता एवम भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बाला मण्ड़ल, अम्बाला के पत्र क्रमांक 1973/रा.स. एवम भ्र.नि.ब्यू. (अम्बाला) दिनांक 22.07.2026 के अनुसार कार्यालय पुलिस महानिदेशक, राज्य सतर्कता एवम भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा पंचकूला को भेजी गई थी। जिस पर कार्यालय पुलिस महानिदेशक, राज्य सतर्कता एवम भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा पंचकूला के पत्र क्रमांक 14767/शिकायत/352/अम्बाला/2025 दिनांक 27.07.2026 अनुसार निरीक्षक प्रवीण कुमार, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवम उपभोक्ता मामले विभाग कुरुक्षेत्र के विरुध धारा 7, 7A, 13(1)b r/w 13(2) PC Act 1988 384, 120 B IPC के अन्तर्गत अभियोग अंकित किए जाने के आदेश प्राप्त हुए है। निरीक्षक प्रवीण कुमार, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवम उपभोक्ता मामले विभाग कुरुक्षेत्र के विरुध धाराधीन 7, 7A, 13(1)b r/w 13(2) PC Act 1988 384, 120 B IPC के अन्तर्गत अभियोग अंकित करने के लिए लेख प्रबन्धक थाना, राज्य सतर्कता एवम भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बाला मण्डल, अम्बाला को प्रस्तुत है। जिस पर अभियोग अकिंत करके प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां स्पेशल रिपोर्ट ईलाका मैजिस्ट्रैट कुरुक्षेत्र व उच्च अधिकारियो की सेवा मे भिजवाई जाये। उच्च अधिकारियो के आदेशानुसार अभियोग अंकित करके नकल मिशल मय असल लेख अगामी अनुसन्धान के लिए अन्य सक्षम अधिकारी के पास भिजवाई जाये।

अज- थाना राज्य सतर्कता एवम भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बाला।

-sd. Nanhi Devi
नन्ही देवी निरीक्षक,
राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
उपकेन्द्र कुरुक्षेत्र।

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

समय – 4.15 PM

अज थाना :- टाईप शुदा तहरीर, महिला निरीक्षक नन्ही देवी, राज्य सतर्कता एंव भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उप केन्द्र कुरुक्षेत्र बर दरखास्त चरणजीत कुमार पुत्र स्व. श्री मनजीत कुमार निवासी मकान न. 100/7 न्यू कालोनी रेलवे रोड कुरुक्षेत्र बर खिलाफ निरीक्षक प्रवीण कुमार, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवम उपभोक्ता मामले विभाग कुरुक्षेत्र बाबत खराब गुणवता का राशन भेजकर, राशन डिपो रदद करने का भय दिखाकर 5000/- रुपये रिश्वत मांगने बारे अपराध धारा 7, 7A, 13(1)b r/w 13(2) PC Act 1988 384, 120 B IPC का होना पाया जाने पर थाना मे प्राप्त होने पर मुकदमा न. 14 दिनांक 29.07.2025 धारा 7, 7A, 13(1)b r/w 13(2) PC Act 1988 384, 120 B IPC थाना रा.स.एंव भ्र0नि0ब्यूरो अम्बाला दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति ई-मेल के माध्यम से सेवा मे ईलाका मैजिस्ट्रैट साहब कुरुक्षेत्र भेजी जा रही है व नकल मिसल पुलिस मय असल लेख आगामी अनुसंधान हेतू हवाले निरीक्षक राजेन्द्र कुमार थाना रा.स.एंव भ्र.नि.ब्यूरो अम्बाला की जा रही है। ईन्द्राज रिकार्ड थाना विधिनुसार किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट की अन्य प्रतियां सम्बन्धित उच्चाधिकारीगण की सेवा मे बजरिया डाक भिजवाई जायेंगी। यह अभियोग निरीक्षक चन्द्र शेखर थाना रा.स.एंव भ्र0नि0ब्यूरो अम्बाला की हाजिरी मे दर्ज किया जा रहा है।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):** **or (या)**

Rank (पद): I (Inspector)

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):**
RAJENDER KUMAR

No. (सं.): PINSP **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

Directed (Mobile No. of I.O.) (जांच अधिकारी का मोबाइल नंबर): 919215574355

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)** **District (ज़िला):**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Pardeep Yadav

Rank (पद): Dy. SP (Deputy Superintendant of Police)

No. (सं.): HPS

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male					**Is pox pitted:** Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)